तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30/6/18	पत्रावली पेश कोर्ट के पेश हुई। वकील उपस्थित। तरमीमशुदा रिपोर्ट जमा हो गई है वकील को सुन गया। मुताबिक तरमीमशुदा रिपोर्ट दावा वादी अर्श तक डिग्री किया जाता है पत्रावली फैसला हुक्म डीक्री शामिल (फैसल हो) दिगर तमीलि जाब्ता के लिखा जाकर दाखिल दफ्तर किया गया। पर्चा डिग्री जारी हो। सुनाया SDem

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/15/17

बउनवान

1. माखनदेवी पत्नी मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर

--- वादी

बनाम

1. माया देवी पत्नी सेडूराम जाति जाट निवासी मंगोलाकी तहसील कठूमर
2. राधाकृष्ण पुत्र घीसाराम जाति मीना निवासी नगलाछीतरसिंह तन सौंखरी तहसील कठूमर
3. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

---- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी व मशवरे

उपस्थित :

श्री राधावल्लभ शर्मा :– अधिवक्ता वादी

श्री तेज सिंह राठी :– अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 30.06.2018

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 691 रकबा 3.66 हे0 वाके ग्राम नगलामाधोपुर तहसील कठूमर में स्थित है विवादित आराजी में वादीया का 1/8 हिस्सा है। उक्त आराजी संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 उपस्थित नहीं हुये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादी ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 वाके ग्राम नगलामाधोपुर की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर वाद वादीगण दिनांक 25.06.2018 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर से विवादित आराजी वावत कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी। तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना में अपनी कुरेजात रिपोर्ट अदालत हाजा में पेश कर दी है। कुरेजात रिपोर्ट पर किसी पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की है। अतः दावा वादीगण मुताविक कुरेजात रिपोर्ट के अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 691 तर्फ उत्तर रकबा 1.83 हे. राधाकृष्ण पुत्र घीसाराम कौम मीना राहिन एसबीआई खेरली को, खसरा नम्बर 691/1 तर्फ पश्चिम मध्य रकबा 0.46 हे. माखन देवी पत्नी मोतीलाल कौम ब्राह्मण को, खसरा नम्बर 691/2 तर्फ दक्षिण रकबा 1.37 हे. मायादेवी पत्नी सेडूराम कौम जाट राहिन केनरा बैंक खेरली को तकसीम में दिया जाकर खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 30.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/15/17

बउनवान

1. माखनदेवी पत्नी मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर

––– वादी

बनाम

1. माया देवी पत्नी सेडूराम जाति जाट निवासी मंगोलाकी तहसील कठूमर
2. राधाकृष्ण पुत्र घीसाराम जाति मीना निवासी नगलाछीतरसिंह तन सौंखरी तहसील कठूमर
3. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

–––– प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी व मशवरे

दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 691 तर्फ उत्तर रकबा 1.83 हे. राधाकृष्ण पुत्र घीसाराम कौम मीना राहिन एसबीआई खेरली को, खसरा नम्बर 691/1 तर्फ पश्चिम मध्य रकबा 0.46 हे. माखन देवी पत्नी मोतीलाल कौम ब्राह्मण को, खसरा नम्बर 691/2 तर्फ दक्षिण रकबा 1.37 हे. मायादेवी पत्नी सेडूराम कौम जाट राहिन केनरा बैंक खेरली को तकसीम में दिया जाकर खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर कों आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 30.06.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/15/17

बउनवान

1. माखनदेवी पत्नी मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर

——— वादी

बनाम

1. माया देवी पत्नी सेडूराम जाति जाट निवासी मंगोलाकी तहसील कठूमर
2. राधाकृष्ण पुत्र घीसाराम जाति मीना निवासी नगलाछीतरसिंह तन सौंखरी तहसील कठूमर
3. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

———— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी व मशवरे

उपस्थित :

श्री राधावल्लभ शर्मा :— अधिवक्ता वादी

श्री तेज सिंह राठी :— अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 25.06.2018

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 691 रकबा 3.66 हे0 वाके ग्राम नगलामाधोपुर तहसील कठूमर में स्थित है विवादित आराजी में वादीया का 1/8 हिस्सा है। उक्त आराजी संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का कानूनी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 उपस्थित नहीं हुये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 वाके ग्राम नगलामाधोपुर की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

पत्रावली कोर्ट कैम्प में पेश हुई। वकुलान उपस्थित हुये। जवाब पेश नहीं करना चाहते। वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस में अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है। राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कर दिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड़ वयान गवाह का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी पर शामलात कब्जे काश्त का अनुमान किया जाता है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन व विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन करने पर दावा वादी सावित होने से प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण वावत आराजी खसरा नम्बर 691 रकवा 3.66 हे0 वाके ग्राम नगलामाधोपुर का हिस्सेनुसार प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते हे कि वो उक्त आराजी पर मौके पर पहुँच कर पक्षकारान की उपस्थिति में मुताबिक रिकोर्ड(हिस्सा जमाबन्दी) एवं

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

कब्जाकास्त विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी वुरी में से वुरी नियमानुसार तकासमा (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर न्यायालय में पेश करें। ताकि वाद अंतिम रूप डिकी किया जा सके।

उपखण्ड अधिकारी
(कनिष्क सैनी)
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 25.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(कनिष्क सैनी)
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner